फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

–: विज्ञापन :–

क्रमांक/3577/जि.पं./व्या.(पं.)/भर्ती/2016–17 महासमुन्द, दिनांक 04/06/2016

छत्तीसगढ. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन कमांक/पंचा.–192/पंग्राविवि/2012/1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012 एवं छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर का पत्र क्र./पंचा.–142/पंग्राविवि/22/2012/1583 रायपुर दिनांक 21.11.2012 तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्र./पंचा–172/अमुस/पंग्राविवि/2016/नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 एवं समय–समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों में निहित निर्देशानुसार शिक्षा विभाग में जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन महासमुन्द जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं/संस्थाओं में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जिला पंचायत महासमुन्द में इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 20.06.2016 सायं 5.30 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे । विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

व्याख्याता (पंचायत) के लिए स्वीकृत पद आरक्षण

क्र.	विषय	अनारक्षित(UR)					अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)					अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					योग				
		मुक्त	महिला	नि:शक्त	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	नि:शक्त	भ.पू.सै	योग	मुक्त	महिला	नि:शक्त	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	नि:शक्त	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	नि:शक्त	भू.पू.सै.	योग
1	अंग्रेजी	3	2	0	1	6	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	7	4	0	1	12
2	गणित	5	2	0	1	8	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	2	2	0	1	5	10	6	0	2	18
3	भौतिक शास्त्र	4	3	1	1	9	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	2	2	0	1	5	9	7	1	2	19
4	रसायन शास्त्र	3	2	0	1	6	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	3	1	0	0	4	8	5	0	1	14
5	विज्ञान संकाय	5	2	0	1	8	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	2	2	0	1	5	9	6	0	2	17
6	वाणिज्य	5	2	0	1	8	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	3	1	0	0	4	10	5	0	1	16
	योग	25	13	1	6	46	8	6	0	0	14	6	5	0	0	11	14	9	0	3	26	53	33	1	9	96

टीप –

1. विज्ञापित पद शासन से प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पद है ।
2. शासन के नियमानुसार महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिको का 10 प्रतिशत तथा नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिये 06 प्रतिशत समस्तरीय प्रवर्गवार आरक्षण होगा।
3. पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र, दस्तावेज असत्य फर्जी पार्य जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा
5. आवेदन पत्र, नियम व शर्ते जिला पंचायत महासमुंद के वेबसाईट www.zpmahasamund.cgpanchayat. gov.in पर उपलब्ध है ।
6. अंतिम तिथि कार्यालयीन समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा(भा0प्र0से0)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, महासमुंद